

प्रारूप

न्यायालय श्रीमान, जनपद न्यायाधीश / अपर जनपद न्यायाधीश, जनपद

न्यायालय श्रीमान, सिविल जज (सीनियर डिविजन / जूनियर डिविजन) जिला.....

प्रार्थना पत्र संख्यासन

(अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 एवं 10ए सी0पी0सी0)

(वाद पत्र वादी / वादीगण को वापस किये जाने के सम्बन्ध में)

अन्तर्गत

वाद पत्र संख्यासन

.....बनाम.....

1- यह कि वादी / Plaintiff द्वारा यह वादपत्र / Plaint दिनांक.....को संलग्नित स्वामित्व अभिलेख राजस्व खतौनी जोत के आधार पर राजस्व खतौनी जोत आराजी संख्या.....ग्रामसभा..... तहसील.....जनपद के संबन्ध में, प्रतिवादी / प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्नलिखित अनुतोष की याचना इस सिविल / दीवानी न्यायालय से प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। इस वादपत्र में वर्णित अनुतोष निम्नवत उद्धित किया जा रहा है।

अनुतोष :

(1) -

(2) -

(3) -

2- यह कि उपरोक्त अनुतोष जो कि :- जोत के विभाजन / Partition / Division of Holdings

राजस्व अभिलेख खतौनी जोत से संबन्धित हैं, जिसके संबन्ध में क्षेत्राधिकार सक्षम राजस्व न्यायालय, तहसील....., जनपद को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 व 117 सपठित नियम-107, 108 व 109 उ0प्र0 राजस्व नियमावली, 2016 में है और निर्णय के बाद आदेश के निष्पादन (Execution) का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को है।

उ0प्र0 राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 116 व 117 सपठित नियम-107, 108 व 109 उ0प्र0 राजस्व नियमावली 2016 को निम्नवत उद्धित किया जाता है-

धारा-116. जोत के विभाजन के लिए वाद- (1) भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह- अंशधारी है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहाँ पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहाँ पर उपरोक्त वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।

(3) जहाँ ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहाँ एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जायेगा।

धारा-117. जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य - (1) धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर का न्यायालय-

(क) ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाय;

(ख) प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

(2) धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से, अन्तिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू-राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम- 107, 108 व 109 उ0प्र0 राजस्व नियमावली, 2016 निम्नवत उद्धित किया जाता है-

नियम-107. जोतों के विभाजन के लिए वाद [धारा 116]- जोत के विभाजन के प्रत्येक वादपत्र में (वृक्ष, कुंआ, और अन्य आस्तियों सहित) निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे-

1. वादी का नाम, पितृनाम व पता;
2. जोत में अन्य सह-खातेदारों के नाम, पितृनाम व पता;
3. वादी द्वारा दावा किया गया अंश;
4. अन्य सह-खातेदारों का अंश;
5. जोत की खसरा संख्याओं, क्षेत्रफल और भू-राजस्व सहित विस्तृत विवरण;
6. वादी अभिलिखित अथवा अनाभिलिखित खातेदार है।।

नियम-108. विभिन्न जोतों के विभाजन के लिये वाद [धारा 116] - जहाँ एक से अधिक जोतों के लिये वाद हो, वहाँ नियम 107 में वर्णित विभाजन के विवरण, वाद-पत्र में सभी जोतों के लिये दिया जायेगा।

नियम-109. प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री [धारा 117] - (1) यदि वाद-पत्र नियम 107 अथवा नियम 108 के अनुसार है तो इसे दावे के रूप में दर्ज रजिस्टर कर लिया जायेगा और प्रतिवादीगण को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जायेगा। तब ऐसे दावे का निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) विभाजन करने के पहले न्यायालय-

(क) वादी और अन्य सह-खातेदारों में प्रत्येक का अंश अलग-अलग निर्धारित करेगा;

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि कौन-कौन से खातेदार, यदि कोई हों, संयुक्त बने रहना चाहते हैं; और

(ग) जोत में प्रत्येक गाटे पर लागू, कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोत (या जोतों) का मूल्यांकन करेगा।

(3) यदि दावा डिक्री किया जाता है तो न्यायालय वादी का हिस्सा घोषित करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा।

(4) प्रारम्भिक डिक्री तैयार होने के बाद उपजिलाधिकारी लेखपाल से कुर्रा तैयार करवायेगा।

(5) लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर कुर्रा की आख्या प्रेषित करेगा और कुर्रा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करेगा-

(क) प्रत्येक पक्षकार को जीत में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गाटों को आबंटित किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासम्भव सहत होगा;

(ग) जहाँ तक सम्भव हो सकेगा किसी भी पक्षकार को न तो सारी की सारी निम्न श्रेणियों की भूमि ही दी जायेगी और न सारी की सारी प्रवर श्रेणियों की ही भूमि दी जायेगी;

(घ) जहाँ तक सम्भव हो सके वर्तमान खेतों को विभक्त नहीं किया जायेगा;

(ङ) ऐसे गाटे जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हों, यथासम्भव उस खातेदार को आबंटित किये जायेंगे यदि वे उसके अंश से अधिक न हों;

(च) यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वादी भूमि से लगा हुआ है तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आबंटित किया जायेगा और द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी अथवा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आबंटित किया जायेगा; और

(छ) यदि सह-खातेदार आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर अलग-अलग कब्जे में हैं तो कुर्रा यथासम्भव तदनुसार नियत किया जायेगा।

(6) जब लेखपाल द्वारा कुर्रा से सम्बन्धित आख्या प्रेषित की जायेगी तो उस पर आपत्ति आमंत्रित की जायेगी और उसके बाद उपजिलाधिकारी पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान करने और लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(7) यदि आख्या और कुर्रा की पुष्टि उपजिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अन्तिम डिक्री बनायो जायेगी।

(8) अन्तिम डिक्री के प्रक्रम पर, न्यायालय-

(क) वादी के अंश को प्रतिवादी अंश से सीमांकन द्वारा पृथक कर देगा।

(ख) अभिलेख पर एक मानचित्र रखेगा जिसमें वादी को दी जाने वाली सम्पत्तियों को प्रतिवादी को दो जाने वाली सम्पत्तियों से पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जायेगा।

(ग) पक्षों द्वारा देय भू-राजस्व को विभाजित करेगा।

(घ) अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को तदुसार संशोधित करने का निदेश देगा।

(9) यदि पक्षों के बीच साम्या का समायोजन करने के लिये पेड़ों, कुंओं या अन्य सुधारों के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान आवश्यक हो जाता है तो सम्बन्धित राजस्व न्यायालय अन्तिम डिक्री के प्रक्रम पर आवश्यक आदेश भी पारित कर सकेगा।

(10) उपजिलाधिकारी छः माह की अवधि के अन्दर वाद को तय करने का प्रयास करेगा और यदि वाद ऐसी अवधि के अन्दर तय नहीं किया जाता है तो कारण अभिलिखित किया जायेगा।

3- यह कि यदि कोई वाद वादी द्वारा सिविल / दीवानी न्यायालय में संस्थित/दायर किया जाता है तो सिविल / दीवानी न्यायालय स्वतः यह देख सकती है कि जिस भू-राजस्व अभिलेख खतौनी जोत के संबंध में जो अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 व उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 की:-

- i. धारा 24 सपठित नियम 22- सीमाओं का सीमांकन /Demarcation of boundaries अथवा
- ii. धारा 25 व 26 सपठित नियम 23- मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार /Rights of way and other easement अथवा
- iii. धारा 30 (1) सपठित नियम 25- मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण /maintenance of map and field book अथवा
- iv. धारा 30 (2) सपठित नियम 26- मिनजुमला नंबर प्लॉट का विभाजन/विभाजन /Partition / Division of minjumla number plot अथवा
- v. धारा 34 सपठित नियम 34- अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य /Duty to report in cases of transfer अथवा
- vi. धारा 35 सपठित नियम 34 व 35 उत्तराधिकार या अंतरण के मामले में नामांतरण /mutation in cases of succession or transfer अथवा
- vii धारा 67 सपठित नियम 66 ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति /power to prevent damage, misappropriation and wrongful occupation of gram panchayat property अथवा
- vii धारा 67-क सपठित नियम 68 कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त /certain house sites to be settled with existing owners thereof अथवा
- ix धारा 116 व 117 सपठित नियम 107, 108 व 109- जोत के विभाजन /Partition / Division of holdings अथवा
- x धारा 133- व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद /Suit for injuction, compensation अथवा

- xi धारा 134 सपठित नियम 127- बिना हक के भूमि के /Ejectment of persons occupying land without title अथवा अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली
- xii धारा 144, व 146 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद /declaratory suits by tenure-holders अथवा

एवं किसी अन्य सुसंगत धारा व नियम से आच्छादित तो नहीं है।

4- यह कि सिविल न्यायालय में यदि कोई वाद दाखिल किया जाता है तो सिविल न्यायालय को यह स्वतः अधिकार है की वह वाद को प्रारंभिक स्तर पर यह जांच ले की क्या यह वाद:-

- उत्तर प्रदेश राजस्व सहित 2006 (U.P. Revenue Code, 2006 अथवा ,
- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 (U.P. Consolidation Of Holdings Act 1953 अथवा ,
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) अथवा ,
- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत आधिभूमिगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971(The Public Premises (Eviction Of Unauthorised Occupation) Act, 1971) अथवा ,
- वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम , 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) अथवा ,
- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम , 2015 (Commercial Court Act, 2015)

या किसी अन्य विशिष्ट अधिनियम से आच्छादित / बाधित तो नहीं है, जिससे इस सिविल / दीवानी न्यायालय को वाद चलने का क्षेत्राधिकार नहीं और ऐसी दशा में वाद पोषणीय नहीं है तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII, नियम 10 व 10 A के तहत तत्काल उसे सक्षम सम्बंधित न्यायालय में योजित / दायर करने के लिए वापस कर दे।

5- यह कि यहाँ पर यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता और राजस्व संहिता, 2006 में विशेष रूप से वर्णित है कि किन मामलों में राजस्व न्यायालय को मुकदमा चलाने का अधिकार है और किन मामलों में सिविल/दीवानी न्यायालय को वाद चलाने से मना किया गया है।

6- यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 "व्यावृत्ति" (Savings) से संबंधित है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का, कुछ विशेष या स्थानीय कानूनों या विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो किसी अन्य कानून द्वारा उस समय लागू हों। (जैसे, किराया नियंत्रण अधिनियम, भूमि सुधार कानून, या कोई अन्य राज्य-विशिष्ट कानून) मौजूद है, और वह कानून एक विशिष्ट प्रक्रिया या नियम निर्धारित करता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के सामान्य नियम उस विशेष कानून पर हावी नहीं होंगे। विशेष कानून ही मान्य होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 4 को निम्नवत उद्धित किया जा रहा है:-

धारा 4. व्यावृत्तियाँ- (1) इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अभाव में, इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को, जो अब प्रवृत्त है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है।

(2) विशिष्टता और उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है, जिसे भू-धारक या भू-स्वामी कृषि भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता है।

7- यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 राजस्व न्यायालयों से संबंधित है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान राजस्व न्यायालयों पर कैसे लागू होंगे। धारा 5 स्पष्ट करती है कि राजस्व न्यायालयों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुप्रयोग राज्य सरकार के विवेक और अधिसूचना पर निर्भर करता है। यह राजस्व न्यायालयों को उनकी विशेष प्रकृति के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रासंगिक प्रावधानों को अपनाने का विकल्प भी प्रदान करती है, लेकिन अक्सर

संशोधित रूप में/संक्षेप में, धारा 5 यह सुनिश्चित करती है कि राजस्व न्यायालय, जो विशेष प्रकार के मामलों से निपटते हैं, अपनी विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन कर सकें, और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधान उन पर केवल तभी और उसी सीमा तक लागू हों जब और जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाए।

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 5 को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है:-

धारा 5. संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना -(1) जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति मौन है, इस संहिता के उपबन्धों द्वारा शासित है वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबन्धों के कोई भी प्रभाग, जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किये गये हैं। उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होंगे, जैसे राज्य सरकार विहित करे।

(2) उपधारा (1) में "राजस्व न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है, जो कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किन्तु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरम्भिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता।

8- यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 9 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है। यह सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का एक मौलिक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का सामान्य नियम निर्धारित करती है। यह बताती है कि एक सिविल न्यायालय किस विषय के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है और किस विषय के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का धारा 9 को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है:-

धारा 9. जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे

न्यायालयों को (इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए) उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी।

स्पष्टीकरण-I- यह वाद, जिसमें सम्पत्ति-सम्बन्धी या पद-सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों सम्बन्धी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलम्बित है, सिविल प्रकृति का वाद है।

स्पष्टीकरण-II- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं।

9- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 206 सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन (Exclusion) से संबंधित है। यह धारा राजस्व मामलों में सिविल न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करती है, जिससे राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार स्पष्ट होता है। यह धारा मुख्य रूप से यह स्थापित करती है कि कुछ विशेष राजस्व मामलों में, सिविल न्यायालयों को कोई वाद, आवेदन या कार्यवाही ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। इसका उद्देश्य राजस्व न्यायालयों को उन मामलों में विशेष अधिकारिता प्रदान करना है जिनके लिए वे विशेष रूप से गठित किए गए हैं।

10- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, की धारा 206 व संलग्न अनुसूची 2 और 3 में वर्णित है की किस राजस्व अधिकारी न्यायालय में किस धारा व नियम में जोत के विभाजन का वाद (Suit for partition/Division of Holding), घोषणात्मक वाद (Suit for declaration), बेदखली का वाद (Suit for ejectment), व्यादेश का वाद (Suit for injunction), वसूली के लिए वाद (Suit for recovery), प्रतिकर के लिए वाद (Suit for compensation), नुकसान के लिए वाद (Suit for damages), सीमा संबंधी विवाद के लिए प्रार्थना पत्र (Application for disputes regarding boundaries) आदि दाखिल किये जायेंगे।

11- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संलग्न द्वितीय अनुसूची/ second schedule में यह वर्णित है की सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कौन-कौन से विषय है एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संलग्न तृतीय अनुसूची/ Third schedule में यह वर्णित है की किस धारा में किस विषय का वाद और किस राजस्व न्यायालय में दायर किया जायेगा और उसकी प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील किस राजस्व न्यायालय/ अधिकारी के यहाँ दाखिल की जाएगी।

धारा 206 राजस्व संहिता 2006, व संलग्न अनुसूची 2 और 3 निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है:-

धारा 206. सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता:-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद्, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त हैं, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन-

(क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; और

(ख) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2) (ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, न की गयी हो और जब तक कि न्याय परिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।

द्वितीय अनुसूची [धारा 206 (2) (क) देखिये]

क्रम संख्या	सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषय
1	सीमाओं के अभ्यंकन या सीमा चिन्हों को नियत करने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
2	आबादी के अवधारण के लिए कलेक्टर द्वारा लिये गये किसी निर्णय पर आक्षेप करने का कोई दावा।
3	किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किये जाने या किसी ऐसी प्रविष्टि को निकालने, उपान्तरित या प्रतिस्थापित किये जाने का कोई दावा।
4	भू-राजस्व या लगान के निर्धारण, माफी या निलम्बन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
5	राज्य सरकार द्वारा संग्रह या भू-राजस्व की वसूली के लिए ऐसी सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन या इस संहिता के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से सम्बन्धित या उससे उत्पन्न होने वाला कोई दावा।
6	राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी सम्पत्ति के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा।
7	इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना, लगान, व्यय प्रभार, शास्ति या मुआवजा के उदग्रहण या अधिरोपण से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
8	किसी भूमि से सदोष बेदखल या बेकब्जा किये गये किसी भूमिधर या असामी के पुनःस्थापन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
9	इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी राजस्व अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए विवश करने का कोई दावा।
10	अध्याय दो के अधीन राजस्व क्षेत्रों और लेखपाल सर्किल के विभाजन, सृजन, समामेलन, समाप्ति या पुनः समायोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
11	धारा 64 या धारा 125 में उल्लिखित भूमि के आवंटन या ऐसे आवंटन को रद्द किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
12	धारा 71 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
13	धारा 124 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिये जाने या धारा 134 या धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किये जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
14	अध्याय ग्यारह के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
15	किसी भूमि पर कब्जा से सम्बन्धित कोई दावा।
16	किसी भूमि के सम्बन्ध में सह-भू-धृतिधारक के अधिकारों को सिद्ध करने विषयक कोई दावा।

तृतीय अनुसूची

[धारा 206, 207 और 208 देखिये]

धारा	वाद आवेदन या कार्यवाहियों का विवरण	प्रारम्भिक अधिकारिता का न्यायालय या अधिकारी	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	2	3	4	5
24	सीमा और सीमा चिन्ह	उप-जिलाधिकारी	आयुक्त	-
35	नामान्तरण वाद	तहसीलदार	उप-जिलाधिकारी	-
54, 56, 57	वृक्षों सम्बन्धित विवाद	कलेक्टर	आयुक्त	-
67	ग्राम पंचायत भूमि से अवैध कब्जे की बेदखली	सहायक कलेक्टर	कलेक्टर	-
82(2) (ग)	किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली के लिए वाद	उप-जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
85(1)	अहस्तांतरणीय अधिकार रखने वाले किसी भूमिधर के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
85 (2)	किसी असामी के विरुद्ध किसी भू-धारक द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
96 (2)	किसी निःशक्त सह-अंशधारी द्वारा विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
116	किसी जोत के विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
131 (1)	किसी असामी की बेदखली के लिए वाद	उप-जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
131 (4)	किसी असामी के विरुद्ध बकायों या लगान की वसूली के लिए वाद	उप-जिलाधिकारी	कलेक्टर	शून्य
133	व्यादेश, प्रतिकर आदि के लिए वाद	उप-जिलाधिकारी	तदैव	तदैव
134	हक के बिना भूमि का अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए वाद	उप-जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
137 (1)	कब्जा, प्रतिकर या व्यादेश के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
139 (1)	लगान को नियत करने हेतु आवेदन	तहसीलदार	उप-जिलाधिकारी	शून्य
141 (1)	लगान के न्यूनीकरण के लिए आवेदन	उप-जिलाधिकारी	कलेक्टर	शून्य
144	भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	आयुक्त	परिषद्
145	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
151 (1)	बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद	तदैव	तदैव	तदैव

टिप्पणी - धारा 82 (2) (ग) से धारा 131 (1), धारा 134, 137 (1) और धारा 139 (1) से धारा 151 (1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, (उप-जिलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा, की जायेगी।

12- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 214 में परिसीमा (limitation), धारा 216 में सूचना की तामील (service of Notice) एवं धारा 225-बी में कैविएट के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में प्रक्रियात्मक प्रावधान है।

13- यह कि उ.प्र. राजस्व न्यायालय मैनुअल/U.P Revenue Court Manual के अध्याय 49 के पैराग्राफ 489 में मध्यवर्ती एक पक्षीय आदेश /Ad interim ex parte order के विषय में व्यवस्था दी गयी है। उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय के निष्पादन (Execution) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल पैराग्राफ के 460 में व्यवस्था दी गयी है।

14- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल में राजस्व न्यायालय के कार्यवाही के विषय में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। अध्याय 1 से 5 तक व्यवस्था दी गयी है कि राजस्व न्यायालय राजस्व मामलों में न्यायिक कार्यवाही करके मामलों का निस्तारण करेगा। अतः राजस्व न्यायालय किस विषय पर , किस धारा में, किस नियम के तहत और किस पैराग्राफ में न्यायिक कार्यवाही करेगी, इसका विस्तृत वर्णन उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय संहिता 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल में वर्णित है।

15- यह कि राजस्व न्यायालय को भी राजस्व वाद में पारित निषेधाज्ञा/ *Injunction* के उल्लंघन पर अवमानना वाद चलाये जाने का अधिकार है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजबलाल बनाम राकेश कुमार मिश्रा और अन्य AIR 2007 ALL 158 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 के पैराग्राफ 23 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि राजस्व न्यायालय किसी राजस्व वाद (Suit case Proceedings) राजस्व मामलों में पारित निषेधाज्ञा/ *Injunction* के उल्लंघन पर अवमानना वाद (Contempt Proceedings) आदेश 39 नियम 2 A में चलाकर दण्डित कर सकता है।

उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ 23 निम्नवत उद्धित किया जा रहा है-

23. For the reasons as indicated herein above, I am of the firm opinion that the provisions of Rule 2A of Order 39 C.P.C. clearly apply in respect of injunctions granted under Section 229D of the U.P.Z.A. and L.R. Act, 1950 and therefore, the contention raised by the learned Counsel for the applicant that such an application would not be maintainable deserves to be rejected. I find myself in full agreement with the judgment of this Court rendered in the case of State of U.P. v. Bihari Lal 2002 All LJ 2393 (supra).

16- Judgement of Hon'ble Supreme Court And High Court:

1- माननीय उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने रिट सी0 नं0 6061 सन 2023 (चन्द्रदेव सिंह एवं एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 में यह वर्णित किया गया है कि राजस्व न्यायालय को उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल /U.P. Revenue Court Manual की पैराग्राफ 460 में डिक्री तथा आदेश का निष्पादन (Execution of Decree and Order) का क्षेत्राधिकार है।

निर्णय का उपयुक्त भाग निम्नवत उद्धित किया जा रहा है-

In the case Ajab Lal vs. Rakesh Kumar Mishra & Ors. Reported in AIR 2007 ALL pg. 158, the position as regards execution of orders passed by the revenue court was dealt with and it was held that the revenue court itself are possessed with such a jurisdiction.

On the same very analogy, we permit the petitioner to institute an appropriate proceeding before the Revenue court and in case any such proceedings are instituted, the competent court shall proceed in accordance with law and finalize the execution proceedings without any delay.

2. बुधु माल आदि बनाम महाबीर प्रसाद आदि 1988 (4) SCC 194

इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Provincial Court of Small Causes की धारा 23 के तहत लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) को वादपत्र वापस (Return Of plaint) करने का विवेकाधिकार है, खासकर जब संपत्ति के अधिकार का प्रश्न हो। यदि उसे लगता है कि वाद में संपत्ति के अधिकार का प्रश्न है जिसका निर्णय वह नहीं कर सकता है। वादपत्र की वापसी पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो सकती है, वादपत्र को लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) से वापस लेने और उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धित किया जा रहा है:

10. It is true that Section 23 does not make it obligatory on the Court of Small Causes to invariably return the plaint once a question of title is raised by the tenant. It is also true that in a suit instituted by the landlord against his tenant on the basis of contract of tenancy, a question of title could also incidentally be gone into and that any finding recorded by a Judge, Small Causes in this behalf could not be res judicata in a suit based on title. It cannot, however, be gainsaid that in enacting Section 23 the legislature must have had in contemplation some cases in which the discretion to return the plaint ought to be exercised in order to do complete justice between the parties. On the facts of the instant cases we feel that these are such cases in which in order to do complete justice between the parties the plaints ought to have been returned for presentation to a court having jurisdiction to determine the title. In case the plea set up by the appellants that by the deed dated December 8, 1966 the benefit arising out of immovable property which itself constituted immovable property was transferred and in pursuance of the information conveyed in this behalf by Mahabir Prasad to them the appellants started paying rent to Smt Sulochna Devi and that the said deed could not be unilaterally cancelled, is accepted, it is likely not only to affect the title of Mahabir Prasad to realise rent from the appellants but will also have the effect of snapping even the relationship of landlord and tenant, between Mahabir Prasad and the appellants which could not be revived by the subsequent unilateral cancellation by Mahabir Prasad of the said deed dated December 8, 1966. In that event it may not be possible to treat the suits filed by Mahabir Prasad against the appellants to be suits between landlord and tenant simpliciter based on contract of tenancy in which an issue of title was incidentally raised. If the suits cannot be construed to be one between landlord and tenant they would not be cognizable by a Court of Small Causes and it is for these reasons that we are of the opinion that these are such cases where the plaints ought to have been returned for presentation to appropriate court so that none of the parties was prejudiced.

3. बंसराज बनाम मोती, [2019 (11) ADJ 185]

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी मुकदमे की सुनवाई किसी विशेष कानून द्वारा वर्जित है और दीवानी अदालत के पास ऐसे मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसे वादपत्र को सीधे खारिज नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उसे सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 10 के तहत वादपत्र को वादी को वापस करना चाहिए, ताकि वह इसे उचित राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के स्पष्टीकरण में वर्णित है कि अपीलीय / निगरानी सिविल न्यायालय, वाद विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने की दशा में पारित डिक्री को रद्द करते हुए वाद को आदेश 7 नियम 10(1) के तहत सक्षम न्यायालय में चलाये जाने के लिए वादी / वादीगण को वापस कर सकती है।

निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धित किया जा रहा है:

28. Proceeding on the well settled principle that a Court which has no jurisdiction to determine a suit ought not decide it, *there is no difficulty to hold that once it is found that the Court has no jurisdiction to decide the suit, it ought not to dismiss for that reason; the plaint should instead be ordered to be returned for presentation to the competent Court. It is also not that this course is open to the Trial Court alone, or that it is confined to early stages of the Trial. The words of Order VII Rule 10 CPC express with great felicity the clear intent of the legislature that the power to return a plaint can be exercised at any stage of the suit. The explanation added to Rule 10 of Order VII CPC vide CPC Amendment Act no.104 of 1996 has made the position explicit that a Court of appeal or revision, may also direct return of the plaint after setting aside the decree passed in a suit, in the exercise of powers under the said Rule. In this connection, the provisions of Order VII Rule 10 CPC may be quoted:*

"10. Return of plaint.--(1) Subject to the provisions of Rule 10-A, the plaint shall] at any stage of the suit be returned to be presented to the Court in which the suit should have been instituted.

Explanation.--For the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule.

(2) Procedure on returning plaint.--On returning a plaint the Judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it."

29. There is, thus, apparently no difficulty to conclude that at whatever stage of the suit, be it in appeal from the original decree, or in appeal from the appellate decree, or in revision at an interlocutory stage, wherever the Court in seisin of those proceedings finds that the suit is not cognizable by the Court, it can and must at once set aside the decree or order, and direct return of the plaint. This is most true in cases where any Court finds lack of jurisdiction with reference to subject matter of the suit. There could be some different principles in case of objection as to territorial or pecuniary jurisdiction, particularly, territorial, if it be not raised at the earliest stage, but with regard to subject matter of the suit if the Court at any stage of the proceeding, or a higher Court in appeal or revision finds that the suit is not cognizable by the Court which has determined it on merits, the determination of a Court sans jurisdiction must be nullified with an order for return of the plaint to the Court of competent jurisdiction

34. Echoing the same principle that where the Court does not find itself possessed of jurisdiction, the proper course is not to dismiss the suit, but to make an order for return of the plaint, a Division Bench of the Madras High Court in *T. Krishnaveni Ammal vs. The Corporation of Madras*, held:

"As observed by the learned Judges in *Immandi Appalasami v. Rajah of Vizianagaram*, 25 M.L.J. 50, the definition of rent in S. 3, Cl. 11 of the Madras Estates Land Act does not require that the raiyat in possession should actually use the land for the purpose of agriculture. We agree with the learned Judge on a reading of the plaint that the suit should be treated as one for recovery of rent due from ryoti land. The suit should have been filed in a revenue Court and not in a civil Court. As we have found that the civil Court has no jurisdiction to entertain the suit, the proper course is to direct the return of the plaint to the plaintiff for presentation in the proper Court. We allow the appeal, set aside the decree of dismissal passed by the learned Judge, and direct that the plaint be presented to the proper Court, namely, the revenue Court. There will be no order as to costs in this appeal. Costs of the suit will abide the result. The court fee paid on the memorandum of appeal will be refunded to the appellant."

4. प्रथम अपील संख्या 278/2024, आसे राम बनाम अमित कुमार, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश और निर्णय दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से यह निर्णय दिया कि Commercial Court Act, 2015 की धारा 6 के अनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में, केवल वाणिज्यिक न्यायालय को ही वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है इसलिए, आदेश VII, नियम 10 और 10A के तहत वादपत्र वापस किया जा सकता है।

पैराग्राफ 12 और 15 को निम्नवत उद्धित किया जा रहा है:

12) The suit for permanent injunction was filed by plaintiff/appellant restraining the defendant/respondent for operating the brick kiln against the terms and conditions of partnership agreement dated 25.8.2027. The sole basis of suit was partnership agreement dated 25.3.2017. The dispute between the parties was purely commercial dispute and in view of Section 6 of Commercial Courts Act, 1915, only Commercial Court has got jurisdiction to decide the dispute. Section 6 of Commercial Courts Act is reproduced herein below:-

6. Jurisdiction of Commercial Courts. – The Commercial Court shall have jurisdiction to try all suits and applications relating to a commercial dispute of a Specified Value arising out of the entire territory of the State over which it has been vested territorial jurisdiction."

15) Learned trial court after considering the entire materials which are available on record has recorded categorical finding of fact that the basis of suit filed by plaintiff-appellant is a partnership agreement dated 25.8.2017 and the dispute between the parties are purely of commercial nature and only Commercial Court has got jurisdiction to decide the dispute between the parties. The trial court has rightly allowed the application filed by defendant-respondent under Order 7 Rule 11(d) and returned the plaint under Order 7 Rule 10 C.P.C. The order dated 28.9.2023 passed by the trial court is based on materials which are available on record and there is no illegality in any manner.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को सिविल अपील संख्या 9481/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 694/2025) में, उसके पैराग्राफ 7 और 8 में कुछ संशोधनों के साथ, बरकरार रखा है।

पैराग्राफ 7 और 8 को निम्नवत उद्धित किया जा रहा है:

7. If the Civil Court is of the view that the dispute being commercial in nature has to go before the Commercial Court then the plaint has to be returned under Order VII Rule 10 CPC. The entire plaint cannot be rejected under Order VII Rule 11 CPC. This is the only clarification which is required in the present appeal.

8. We dispose of this appeal with a direction that the plaint of Original Suit No.449/2023 shall be handed over to the appellant – herein – original plaintiff so as to present it before the Court of competent jurisdiction i.e. the Commercial Court.

5. अज़हर हसन बनाम प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, AIR 1998 SC 2960

इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्व अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन से व्यक्ति भूमि के वास्तविक कब्जाधारक हैं। सिविल न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और वादियों को राजस्व न्यायालय में जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने वादियों को राजस्व न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी और उन्हें इस मामले में समय की गणना करने के लिए आवश्यक समय देने का निर्देश दिया।

निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत उद्धित किया जा रहा है:

2. On reading the plaint and on understanding the controversy, we get to the view that whether those persons who succeeded the recorded tenants, were rightly recorded as tenants or not, was a question determinable by the Revenue authorities. Besides that, the sale deed which has been questioned on the basis of fraud, was not executed by the plaintiffs but by others, and they were not parties thereto so as to allege the incidence of fraud. In these circumstances, we are of the view that the plaint was rightly returned to the plaintiffs. They are even now at liberty to approach the Revenue authorities and claim deduction of time spent in these proceedings, in computing limitation for the purpose of the suit. In this view of the matter, the appeal fails and is hereby dismissed. No costs.

17- यह कि वादी द्वारा इस वाद में राजस्व अभिलेख खतौनी जोत में वर्णित आराजी संख्या व क्षेत्रफल एकड़ से सम्बंधित विवाद के सम्बन्ध में इस सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है जिस पर एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को उ0प्र0 राजस्व अधिनियम 2006 में वर्णित धारा 206 सपठित अनुसूची 2 और 3 में है और सिविल प्रक्रिया सहित की धारा 4, 5 व 9 ऐसे मुकदमों को सिविल / दीवानी न्यायालयों में चलाये जाने को मना करती है। अतः सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने के कारण उपरोक्त वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 10 तथा 10ए के तहत वादी को सक्षम संबंधित राजस्व न्यायालय में उ0प्र0 राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 116 , 117 व अन्य सुसंगत धारा उ0प्र0 राजस्व अधिनियम 2006 व नियम 107, 108, 109 उ0प्र0 राजस्व नियमावली 2016 में चलाये जाने के लिए वापस किये जाने योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7, नियम 10 एवं 10ए निम्नवत उद्धित किया जा रहा है:-

आदेश 7, नियम 10. वादपत्र का लौटाया जाना-

(1) नियम 10 क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वादपत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।

स्पष्टीकरण -

शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात्, इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जाने का निदेश दे सकेगा।

(2) वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया-

न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

आदेश 7, नियम 10 क जहाँ वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् फाइल किया जाना है, वहाँ न्यायालय में उपसंज्ञाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति-

(1) जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंज्ञात होने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि वादपत्र लौटाया जाना चाहिए वहाँ वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा।

(2) जहाँ वादी को उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई हो वहाँ वादी न्यायालय से-

(क) उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह वादपत्र के लौटाए जाने के पश्चात् वादपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है,

(ख) यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, और

(ग) यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए, आवेदन कर सकेगा।

(3) जहाँ वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया जाता है वहाँ न्यायालय वादपत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वादपत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी,-

(क) उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्थापना है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा, और

(ख) उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी को देगा।

(4) जहाँ उपनियम (3) के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहाँ-

(क) उस न्यायालय के लिए जिसमें वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् उपस्थित किया जाता है, तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि वह वाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करे, जब तक कि वह न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे, और

(ख) उक्त सूचना, उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र को लौटाने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियत तारीख को वादपत्र उपस्थित किया जाता है, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए समन समझी जाएगी।

(5) जहाँ न्यायालय वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है वहाँ वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

प्रार्थना

अतः उपरोक्त तथ्यों, विधि व्यवस्थाओं एवं न्यायिक निर्णयों के आधार पर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण, माननीय सिविल न्यायालय से यह अनुरोध करता है कि वादपत्र में वर्णित अनुतोष राजस्व अभिलेख खतौनी जोत ग्राम सभा , तहसील....., जनपद के संबंध में है जिस पर उ० प्र० राजस्व संहिता 2006, में राजस्व न्यायालय को Jurisdiction/क्षेत्राधिकार है, तदानुसार, वादी/वादीगण को यह वादपत्र वापस करतें हुए संबंधित राजस्व न्यायालय उपजिलाधिकारी/सबडिविजनल आफिसर/असिस्टेंट कलेक्टर, तहसील.....,जनपद को आदेशित/निर्देशित किया जाए कि यदि वादी/ वादीगण इस आदेश के दिनांक से एक माह के अंतर्गत वादपत्र/प्रार्थनापत्र नियमानुसार राजस्व न्यायालय में संस्थित/ दायर करता है तो प्रतिवादी/विपक्षीगण को सुनवायी का अवसर देते हुए वादपत्र पर नियमानुसार न्याय हित में निर्णय लें।

हस्ताक्षर

प्रार्थी/प्रार्थीगण/विपक्षी

नाम

पता

दिनांक